



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589]
No. 589]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2008/वैशाख 10, 1930
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2008/VAISAKHA 10, 1930

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2008

का.आ. 1055(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) दो सौ बानवेवां संशोधन नियम, 2008 है।
- (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

- (1) प्रथम अनुसूची में, “42. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय” शीर्षक के अधीन निम्नलिखित उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

- “(i) युवक कार्यक्रम विभाग
- (ii) खेल विभाग”;

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

- (क) “प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“20. राशीकरण करारों संबंधी कार्य, प्रवासी भारतीय का संरक्षण और कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के संदाय से छूट।”

- (ख) “युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“क. युवक कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्य/युवा नीति।
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन।
3. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम।
4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान।
5. ग्रामीण युवा और क्रीड़ा क्लबों को दी जाने वाली सहायता संबंधी स्कीम।

6. राष्ट्रीय युवा आयोग ।
7. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।
8. स्वयंसेवी युवा संगठन जिनके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है ।
9. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम ।
10. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।
11. युवा कल्याण क्रियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प आदि ।
12. ब्वाय-स्काउट और गर्ल-गाइड ।
13. युवा हॉस्टल ।
14. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।
15. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम का अवशिष्ट कार्य ।
16. शारीरिक शिक्षा ।

ख. खेल विभाग

1. क्रीड़ा नीति ।
2. क्रीड़ा और खेल ।
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ।
5. भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण ।
6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसरों से संबंधित मामले ।
7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना ।
8. राष्ट्रीय क्रीड़ा पुरस्कार जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी हैं ।
9. क्रीड़ा छात्रवृत्तियां ।
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधि मंडल, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान ।
11. क्रीड़ा अवसंरचना जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।
12. कोचिंग, टूर्नामेंट, उपस्कर, आदि के लिए वित्तीय सहायता ।
13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्रीड़ा मामले ।”

प्रतिभा देवीसिंह पाटील
राष्ट्रपति

[फा. सं. 791/2/2/2008-मंत्रि.]

के. एल. शर्मा, निदेशक

CABINET SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2008

S.O. 1055(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Ninety Second Amendment Rules, 2008.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—
 - (1) in the First Schedule, under the heading “42. Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram Aur Khel Mantralaya)”, the following sub-headings shall be inserted, namely :—
 - “(i) Department of Youth Affairs (Yuvak Karyakram Vibhag)
 - (ii) Department of Sports (Khel Vibhag)”;

(2) In the Second Schedule,—

(A) under the heading “Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)”, after entry 19, the following entry shall be inserted, namely :—

“20. Work relating to totalization agreements, protection and welfare of overseas Indians and exemption from payment of social security.”

(B) under the heading “Ministry of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram Aur Khel Mantralaya)”, for the existing entries, the following sub-headings and entries shall be substituted, namely :—

“A. Department of Youth Affairs (Yuvak Karyakram Vibhag)

1. Youth Affairs/Youth Policy.
2. Nehru Yuva Kendra Sangathan.
3. National Reconstruction Corps Scheme.
4. Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development.
5. Scheme for Assistance to Rural Youth and Sports Clubs.
6. National Commission for Youth.
7. National Service Scheme.
8. Voluntary Youth Organisations including financial assistance to them.
9. National Service Volunteer Scheme.
10. Commonwealth Youth Programme and United Nations Volunteers.
11. Youth Welfare Activities, Youth Festivals, Work Camp, etc.
12. Boy-scouts and Girl-guides.
13. Youth Hostels.
14. National Youth Awards.
15. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.
16. Physical Education.

B. Department of Sports (Khel Vibhag)

1. Sports Policy.
2. Sports and Games.
3. National Welfare Fund for Sportsmen.
4. Netaji Subhas National Institute of Sports.
5. Sports Authority of India.
6. Matters relating to the Indian Olympic Association and National Sports Federations.
7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.
8. National Sports Awards including Arjuna Awards.
9. Sports Scholarships.
10. Exchange of Sports persons, Youth delegation, experts and teams with foreign countries.
11. Sports infrastructure including financial assistance for creation and development of such infrastructure.
12. Financial assistance for coaching tournaments, equipment, etc.
13. Sports matters relating to Union territories.”

PRATIBHA DEVISINGH PATIL
PRESIDENT

[F. No. 791/2/2/2008-Cab.]

K. L. SHARMA, Director